प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 6 दिनांक 24.02.2016

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं –

(क) घटना का दिन बुधवार दिनांक से दिनांक 24.02.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 24.02..20116 समय 12.25 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 5 समय 12.30 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैषल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) पूर्व – दक्षिण लगभग 25/26 कि0मी0

(ख) पता :

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) सोहना

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : राजेन्द्र (ख) (पिता/पति का नाम) श्री चेतराम

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) राशन डिपो (पता) खूटपुरी थाना सोहना जिला गुडगांव।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)
वेद सिंह निरीक्षक, दिलावर सिंह DFSC खादय एंवम आपूर्ति विभाग सोहना जिला गुडगांव।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री विरेन्द्र सिंह उप पुलिस अधिक्षक रा0चौ0ब्यूरो गंडगांवा, बदस्त सि0
प्रवीन कुमार न0 323/FBD बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है,
''सेवा में, श्रीमान उप महानिरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव, श्री मान जी निवेदन है कि मै राजेन्द्र पुत्र
चेतराम जाति जाट निवासी खूटपुरी में राशन बॉटने का कार्य करता हूँ। मेरा लाईसेंस न0 109 है। लगभग 10
साल से कार्य कर रहा हूँ। वेदसिंह निरीक्षक खादय एंवम आपूर्ति सोहना मेरे को इस महिने का राशन बाटने

POLICE STATION S.V.B.

नही दे रहा है। तथा कहता है कि इस महिने राशन रोक लो तथा अगले महिने का राशन बॉट देना तथा इस महिने का राशन ब्लैक करके मुझे व उपर DFSC दिलावर को देने है। इस के एवज में मेरे से 25 हजार रू0 कि मांग कि है। और कहता है कि अगर आपने ऐसा नही किया तो आप का लाइसेंस रद् करा दूंगा (और कहा है कि) जो मेरे प्रार्थना करने पर 10 हजार रू0 में मान गया है और कहा है कि 15 हजार रू0 गेहूँ ब्लैक करके देदेना जो मै 10 हजार रू0 देने का समय तय करके आया हूॅ। और आज अपने दोस्त दयानन्द भारद्वाज निवासी आटा के साथ कार्यालय में हाजिर आया हूॅ। मेरा वेदसिंह निरीक्षक व दिलावर सिंह DFSC से कोई लेन–देन बकाया नही है। और नही काई रंजिश है। उपरोक्त के खिलाफ कानूनन कार्यवाही की जावे। हस्ता हिन्दी राजेन्द्र पुत्र चेतराम गांव खूटपुरी मो0न0 8053880798 दिनॉक 24.02.2016 कार्यवाही पुलिस आज मन DSP मय रीडर ए0एस0आई0 सतीश कुमार न0 1706/ FBD के हाजिर कार्यालय हूॅ राजेन्द्र मुदई उपरोक्त ने उक्त शिकायत DIG साहब द्वारा मेरे नाम मार्क कि हुई पेश कि जो दरखास्त के मजबून से सरेदस्त जूर्म 7 PC ACT का सर्जद होना पाया गया जो तहरिर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 प्रविन कुमार न0 323/ FBD अरसाल थाना है हिदायत दी कि मुकदमा दर्ज करवा कर स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट वा अफसरान वाला की सेवा में भिजवाई जावे, मन DSP ने रैडिंग पार्टी तैयार कि जिसमे उप नि0 सुभाष चन्द्र न0 353/ H, उप नि0 सत्य प्रकाश न0 131/ GGN, ASI सतीश कुमार न0 1706/ FBD, सि0 योगेश कुमार न0 2809/ GGN को शामिल किया। मन DSP मय रैडिंग पार्टी मय मुदई व मुदई के साथी दयानन्द सहित मय गाडी सरकारी न0 HR-68-8353 चालक EHC जोगिन्द्र सिंह न0 2361/FBD बरायें लेने रैड अनुमति रवाना उपायुक्त कार्यालय गुडगांव का होता हूॅ। हस्ता अग्रेजी विरेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव दिनांक 24.02.2016 एट 12.20 पी0एम0 अज थाना आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरानबाला वा डयूटि मैजिस्ट्रेट साहब गुडगांव नियमानुसार भेजी जावेगी। एक पर्त एफ0आई0आर0 बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब गुडगांव बदस्त आरिन्दा सि0 प्रवीन कुमार न0 323/FBD भेजी जा रही है। असल मिसल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुंचाने हेतु इसी आरिन्दा सिपाही के हवाले की गई।

POLICE STATION ... Gurgaon Range Gurgaon

Attested.

Chander

निरीक्षक
चौकसी ब्यूरो (ह०)
गुड़गांवा मण्डल ...

थाना प्रभारी का नाम
नाम : अमित कुमार
पद : निरिक्षक
दिनांक 24.02.2016 समय 02.15 पी.एम